

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1456]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 2016/ज्येष्ठ 20, 1938

No. 1456]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 2016/JYAISTHA 20, 1938

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2016

का.आ. 2059(अ).—केन्द्रीय सरकार, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खंड (ढ) के पहले परंतुक के खंड (iii) के अनुसरण में, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक का.आ.1149(अ), तारीख 21 अप्रैल, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 2 के सामने, अधिकारी का नाम, पदनाम और पता से संबंधित स्तंभ (2) के अधीन की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“श्री प्रभात कुमार प्रधान

कार्यकारी निदेशक (कार्मिक और प्रशासन),

राउरकेला इस्पात संयंत्र,

राउरकेला – 769011”

[फा. सं. 8(7)/2014-सेल-पी.सी]

सुनील बड़थवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना का.आ. संख्याक 1149(अ), तारीख 21 अप्रैल, 2014 द्वारा प्रकाशित किया गई थी तत्पश्चात् का.आ. संख्यांक 1509 (अ), तारीख 2 जून, 2015 तथा का.आ. संख्यांक 687(अ), तारीख 4 मार्च, 2016 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF STEEL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st May, 2016

S.O. 2059(E).—In pursuance of clause (iii) of the first proviso to clause (n) of section 2 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Steel, number S.O. 1149(E), dated the 21st April, 2014, namely:-

In the said notification, in the TABLE, against serial number 2, for the entries under column (2) relating to Name, designation and address of officer, the following entries shall be substituted, namely :-

“Shri Prabhat Kumar Pradhan,
Executive Director (Personnel and Administration),
Rourkela Steel Plant,
Rourkela-769011”.

[F. No. 8(7)/2014-SAIL-PC]

SUNIL BARTHWAL, Jt. Secy.

Note.- The principal notification was published vide number S.O. 1149(E), dated the 21st April, 2014 and subsequently amended vide number S.O. 1509(E), dated the 2nd June, 2015 and number S.O. 687(E), dated the 4th March, 2016.